राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

कमांक 4(21)ग्रावि / अनु–8 / 2015 दिनांकः 16.11.2015

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित एनआईसी के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला परिषद के उपस्थित मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. ग्रामीण विकास की योजनाऐं

1 महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा) को चार्ज शीट जारी करने के निर्देश दिये गये ।

2 109 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी (नरेगा) का एक्शन प्लान अप्रुव नहीं हुआ है। इस संबंध में संबंधित जिला शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर विभाग को बतायें।

3 महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्किल (Skilled) व अनस्किल्ड (Unskilled)का प्रावधान है। जिलों में हमेशा मांग होती रही है लेकिन कुछ कार्य ऐसे है जो सेमी स्किल्ड के होते है। अतः आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा लैबर विभाग के साथ आवश्यक विचार विमर्श कर सेमी स्किल लैबर को परिभाषित किया जाये व इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर जिलों में लागू करायें।

4 आईएवाई योजना में महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स करने पर लैबर के साथ साथ 40 प्रतिशत मैटेरियल राशि के प्रावधान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाए।

5 आईएवाई योजना में स्वप्रेरक लगाने के निर्देश राज्य स्तर से दिये गये जिन जिलों द्वारा 50 आवासों पर एक प्रेरक नहीं लगाया गया है उन जिलों को नोटिस जारी किये जाए।

6 मुख्यालय से दिनांक 30.09.2015 से 01.10.2015 तक जिला प्रतापगढ़, उदयपुर एवं बाड़मेर की निरीक्षण रिपोर्ट पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप अनुपालना रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करें।

7 डांग, मगरा, मेवात में राज्य स्तर पर रोकी गयी राशि की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों का तुरंत निस्तारण किया जाए।

8 सभी योजनाओं में 150 प्रतिशत तक स्वीकृति जारी करायी जाए।

9 आगामी विडियों कॉन्फ्रेंस से 2 दिवस पहले सभी योजना का महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित समीक्षा नोट तैयार कर प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज को प्रस्तुत किया जाए।

10 जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जिला परिषद स्तर पर नये कार्यो को अनुमोदित करने हेतु पूरक प्लान बनाने के निर्देश दिये गये।

11 सभी परियोजना अधिकारी (योजना प्रभारी) को अगले सप्ताह क्षेत्र भ्रमण कर स्वीकृतियॉ जारी करवाने एवं कार्यो को चालू करवाने के निर्देश दिये गये।

12 डूँगरपुर मॉडल को अपनाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से विडियों कॉन्फ्रेस करने के निर्देश दिये गये।

13 आवास योजनान्तर्गत प्रतापगढ जिले में अवशेष राशि 17.00 करोड़ को अन्य जिलों को ट्रांसफर किया जाए।

14 डूँगरपुर जिले द्वारा महात्मा गांधी नरेगा में लैबर बजट का बहुत कम उपयोग हुआ है। लैबर बजट का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

2. आवास योजना

1 वर्ष 2011–12 व 2012–13 के प्रगतिरत आवासों को अनिवार्य रूप में पूर्ण कराने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की सेवाएं अनिवार्य रूप से लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

2 वर्ष 2015–16 के बकाया पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

- अपील के माध्यम से जुडे नये बीपीएल परिवारों का पात्रता के आधार पर पंजीयन किया जावे।
- पंजीयन से बकाया रहे परिवारों की सूची का आवश्यकतानुसार कम से कम स्थान में स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशन कराया जावे।
- योजना के प्रचार–प्रसार हेतु अपील, होर्डिंग आदि का उपयोग किया जावे। जिन ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा डीएससी एक्टिवेट नहीं करवाये गये हो, आवश्यक रूप में 3 दिवस में एक्टिवेट करावें।
- लाभार्थियों के खाते फीज कर राशि हस्तान्तरित की जावे। जिन जिलों द्वारा एक भी एफटीओ जनरेट इस वित्तीय वर्ष में नहीं किया है, उन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करनें के निर्देश दिये गये।
- प्रशासनिक मद का योजना के सफल कियान्वयन में उपयोग सुनिश्चित किया जावे, इस बाबत् मोबाईल कनेक्शन जिले पर लेने, आवश्यकतानुसार एमआईएस हेतु हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्रय करने आदि के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- इस मद में कम खर्चे व शून्य व्यय वाले जिलों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश प्रदान किये।

6. <u>डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना :–</u>

1. डांग, मगरा, मेवात के सभी जिलों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यो को तुरंत प्रारम्भ कराया जावे।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

1. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेन्स में चर्चा योग्य बिन्दुओं का समीक्षा नोट वीसी से पूर्व मुख्यालय को प्रेषित करें तथा वीसी होने के पश्चात अनुपालना रिपोर्ट आगामी वीसी के 7 दिवस पूर्व (Email-pdme2k_rdd@yahoo.com) भिजवाना सुनिश्चित करें।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, निदेशक, मिड़–डे–मील, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन–2), पंचायती राज विभाग।
9. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
10. निदेशक(सीसीडीयू), पंचायती राज विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।
13. संयुक्त निदेशक,(आयोजना) आयोजना विभाग।
14. उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
15. परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस/एसएपी/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
16. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
17. अति. मुख्य अभियन्ता, एसएपी–सीएसएस, ग्रामीण विकास विभाग।
18. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/(श्री योजना)।
19. अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज विभाग।
20. संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।
21. मुख्य/अति0 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
22. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट(www.rdprd.gov.in) पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)